

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

13 APR 2017

क्रमांक पं. 25(15)आयु./2017

जयपुर, दिनांक

आदेश

13 APR 2017

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक पं 15(6)आयु./2002 जयपुर, दिनांक 14.09.2004 एवं 04.05.2005 के अतिक्रमण में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सालयों/औषधालयों में बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.स.	चिकित्सालय/औषधालय	अवधि	बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय
1	ग्रामीण क्षेत्रों के आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सालय /औषधालय ।	1 अप्रैल से 30 सितम्बर (गर्मी)	प्रातः 8.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक)
		1 अक्टूबर से 31 मार्च तक (सर्दी)	प्रातः 9.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक)
2	शहरी क्षेत्रों के आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सालय /औषधालय ।	1 अप्रैल से 30 सितम्बर (गर्मी)	प्रातः 8.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक एवं सायंकाल 5.00 बजे से 7.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में पूर्ववत)
		1 अक्टूबर से 31 मार्च तक (सर्दी)	प्रातः 9.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 1.00 बजे तक एवं सायंकाल 4.00 बजे से 6.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में पूर्ववत)
3	ऐसे विभागीय चिकित्सालय /औषधालय जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अथवा अन्य विभागों के अधीन संचालित है।	संबंधित विभाग के आदेशों के अनुसार ही बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय रहेगा।	
4	वैलनेस सेन्टर पर संचालित विभागीय चिकित्सालय/औषधालय।	पूर्ववत जारी आदेशों के अनुसार ही बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय रहेगा।	

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

महेन्द्र प्रकाश शर्मा
(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक /यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान, आयुष भवन जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
6. समस्त, उपनिदेशक, आयुर्वेद/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान।
7. समस्त, जिला आयुर्वेद अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

ओम प्रकाश वर्मा
(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांक. प 3 / सामा.1 / औषधालय / समय परिवर्तन / 2016 / 7681

दिनांक: 17-4-17

प्रतिलिपि:- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मधुसुदन शर्मा
(मधुसुदन शर्मा)
अति.निदेशक (आयुर्वेद)